उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रथम कार्य परिषद् की बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् की प्रथम बैठक अध्यक्ष कार्य परिषद् की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में दिनांक 22/02/2010 को अपरान्ह 3:00 बजे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया –

1.	प्रो0 विनय कुमार पाठक कुलपति एवं अध्यक्ष उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,हल्द्वानी (नैनीताल)	.... अध्यक्ष
2.	प्रो0 एम0 पी0 यादव (अकादमिक) पूर्व निदेशक–कुलपति (आई0वी0आर0आई0) कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, वर्तमान गुड़गाव, हरियाणा	.... सदस्य
3.	डॉ0 पी0 एम0 शालीमठ (अकादमिक) निदेशक कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़, कर्नाटक।	.... सदस्य
4.	डॉ0 एस0 फारूख (उद्योगपति) क्लेमेनटावन, देहरादून।	.... सदस्य
5.	श्री सुधीर चड्डा (उद्योगपति) चड्डा सीड फार्म, चकुलवा, नैनीताल।	.... सदस्य
6	डॉ0 आर0 के0 सिंह (प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा नामित) विशेष कार्याधिकारी/सलाहाकार माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।	.... सदस्य
7.	श्रीमती जयंती ह्यांकी वित्त नियन्त्रक उ0 मु0 वि0वि0, हल्द्वानी (नैनीताल)	.... विशेष आमंत्रित सदस्या
8.	डॉ0 बी0 आर0 पन्त कुलसचिव उ0 मु0 वि0वि0, हल्द्वानी (नैनीताल)	.... सदस्य सचिव

बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित न हो सकें –

1.	प्रो0 वी0 एन0 राजशेखरन पिल्लै कुलपति इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	.... सदस्य

बैठक हेतु निम्न सदस्यों के पद रिक्त है –

1.	परिनियम 13 में उल्लिखित विद्या शाखा से ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो निदेशक;	.... सदस्य
2.	ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक आचार्य;	.... सदस्य
3.	ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक उपाचार्य;	.... सदस्य
4.	ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक प्राध्यापक;	.... सदस्य

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की प्रथम बैठक दिनांक 22–02–2010 की कार्यवृत्त।

1.01 **विश्वविद्यालय की स्थापना से अब तक के प्रगति से परिषद् के सदस्यों को अवगत कराना।**

विश्वविद्यालय की प्रगति से परिषद् अवगत हुए।

1.02 **विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में स्वयं विकसित किये गये पाठ्यक्रमों एवं अन्य प्रक्रिया से परिषद् को अवगत कराना।**

विश्वविद्यालय द्वारा स्वंय विकसित तथा संचालित पाठ्यक्रमों से परिषद् अवगत हुई। साथ ही अद्यतन तक विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया।

1.03 **विश्वविद्यालय हेतु भूमि क्रय के प्रस्ताव रू 2,69,65,710/– के भुगतान पर परिषद् का अनुमोदन।**

परिषद् के सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय भूमि हस्तांतरण हेतु शासन से एन0पी0वी0 जमा करने के लिये धनराशि स्वीकृत करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। परिषद् के सदस्यों द्वारा यह भी सुझाव दिया गया है कि कार्य परिषद् के सदस्य कुलपति महोदय के साथ माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आवश्यकता पड़ने पर मिलकर विश्वविद्यालय को शीघ्र भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध करेगे।

1.03 **(अ) विश्वविद्यालय कार्यालय को नये भवन में स्थानान्तरित किये जाने पर परिषद् का अनुमोदन।**

परिषद् द्वारा विचारोपरन्त श्री पृथ्वी पाल सिंह रावत के भवन को तीन वर्ष अथवा विश्वविद्यालय के स्वंय के भवन में स्थानान्तरित होने तक रू 10.50 प्रति वर्ग फीट की दर से किराये पर लेने का अनुबन्ध कर वर्तमान कार्यालय को स्थानान्तरित कराये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

1.04 **विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2010–2011 में संचालित किये जाने वाले नये पाठ्यक्रमों पर सहमति तथा समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हेतु गठित समिति का अनुमोदन।**

परिषद् द्वारा दो नये विद्या शाखा के संचालन पर अनुमति प्रदान की गई जो की Agriculture विद्या शाखा में Horticulture, Flauriculture etc एवं Rural Health Science विद्या शाखा में Ayurveda, Medical Science, Food and Nutrition, Yoga and Environmental Science etc. है। इसके अतिरिक्त मानविकी विद्या शाखा में संगीत, नाटक, लोक गीत/नृत्य एवं कला इत्यादि को भी बढ़ाने की सहमति दी गई है। भविष्य में बी0पी0पी0, बी0एड0 पाठ्यक्रम भी शुरू किये जाने पर जोर दिया। उक्त के साथ ही छात्रों की सहायता हेतु बी0पी0ओ0 के माध्यम से अनुबन्ध करने तथा पी0पी0पी0 मोड़ से प्रिंटिंग प्रेस की व्यवस्था किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

1.05 <u>विश्वविद्यालय में वर्ष 2006–2007 से वर्ष 2008–2009 तक विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की संख्या से परिषद् को अवगत कराना।</u>

परिषद् ने छात्रों के प्रवेश की घटती संख्या पर चिन्ता व्यक्त की तथा भविष्य में छात्रों की संख्या बढ़ाये जाने पर निम्न सुझाव दिये –

1. प्रत्येक संकाय में प्रध्यापकों की नियुक्ति तत्काल की जाये।
2. स्वंय के भवन की व्यवस्था शीघ्र की जाये।
3. परामर्श की सुविधाएँ बढ़ायी जाये।
4. आकर्षक कार्यक्रम दर्शिका का प्रकाशन किया जाये।
5. प्रचार प्रसार हेतु प्रिंट मीडिया/विज्ञापन/इलैक्ट्रोनिक मीडिया को व्यापक प्रयोग में लाया जाये।

1.06 <u>विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त कार्यक्रमों हेतु प्रवेश, परीक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्क पर परिषद् का विचार एवं अनुमोदन प्राप्त किया जाना।</u>

परिषद् द्वारा पूर्व में लागू शुल्क दरों को अनुमोदित किया गया, साथ ही विश्वविद्यालय को आदेशित किया गया की विश्वविद्यालय की शुल्क इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से अधिक नहीं रखी जाये। उक्त के अतिरिक्त समस्त पाठ्यक्रमों के शुल्क को अकादमिक काउन्सिल से भी अनुमोदित कराया जाये।

1.07 <u>विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2006 से अद्यतन तक सम्पन्न करायी गई मुख्य तथा नॉन 10+2 (पात्रता) परीक्षा का विवरण से परिषद् का अनुमोदन।</u>

परिषद् द्वारा पूर्व में आयोजित मुख्य एवं नॉन 10+2 की परीक्षाओं को अनुमोदित किया गया।

1.08 <u>विश्वविद्यालय में सृजित पदों पर प्रतिनियुक्ति/नियुक्ति किये जाने पर परिषद् का अनुमोदन।</u>

परिषद् द्वारा प्रतिनियुक्ति पर उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव के दो पदों पर की नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा अन्य शैक्षणिक पदों को वर्तमान में शासन द्वारा जारी आरक्षण व्यवस्था के अधीन ही नियुक्तियॉ की जाने पर परिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया।

1.09 <u>पूर्व में स्वीकृत शैक्षिक पदों को आवश्यकतानुसार अन्य नये पाठ्यक्रमों में स्थानान्तरित किये जाने पर कार्य परिषद् का अनुमोदन।</u>

वर्तमान विज्ञापन के माध्यम से प्रोफेसर के 08 पदों एवं ऐसिसटेन्ट प्रोफेसर के 16 पदों, परीक्षा नियन्त्रक के 01 पद पर विज्ञापन प्रकाशित कर चयन हेतु अनुमोदित किया गया। शेष 06 पदों प्रोफेसर एवं ऐसिसटेन्ट प्रोफेसर के 12 पदों को आवश्यकतानुसार अन्य नये विषयों में स्थानान्तरित/पुर्न गठन करने हेतु इस शर्त के साथ परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया की नियुक्ति प्रक्रिया से पूर्व उक्त प्रकरण पर राज्य सरकार से भी अनुमति प्राप्त कर ली जायें।

प्रो0 एस0पी0सिंह पूर्व कुलपति, एच0एन0बी0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर द्वारा विकसित फार्मूले को संशोधित कर अपनाया जाने को अनुमोदित किया जिसमें एसिसटेन्ट प्रोफेसर के चयन में कैरियर प्रोफाईल हेतु 70 तथा साक्षात्कार में 30 अंक निर्धारित किये गये हैं।

संशोधित फार्मूला निम्नवत अनुमोदित किया गया –

"Out of Maximum 100 marks for selection. 70 would be on Career and 30 on Performance in the interview".

Career Profile Scoring (record A) (70 marks)

	Total Marks	50-54.9%	55.59.9%	60-64.9%	65-69.9%	70-74.9%	75% and above
Graduate	12	7	8	9	10	11	12
Post Graduate	12	-	8	9	10	11	12

The University would have right to scrutinise and take necessary action accordingly in case it comes to know that indices of marks of a candidate appear to be different from those of Universities of Uttarakhand and other mainstream Universities of the country.

Ph.d – 6
NET – 6
Ph.D + NET – 12

1. Research Publication: - Marks 15 instead of 10 :- In science it would be based only on National and international Research journals. A candidate with 4-5 such papers will be given full marks. However in top impact factor journals a single paper may fetch full marks 12. In other disciplines, research output in terms of Research Papers/Books published in good Journals/Publication House with ISBN/ISSN in intotality would assessed.

2. Teaching Experience: - Marks 10 instead of 5:- 4 marks for each year upto 2 years, 2 for 3rd year and none for the rest.

3. Skill in related disciplines: - 5 Marks :- Value added courses such as knowledge of GIS, Remote Sensing, research methodology, course development and SPSS package in Social Sciences. There can be similar other examples.

4. Award/Honours/ Fellowship:- 4 Marks

Interview Scoring (record B) 30 marks

All the members of the selection committees would seperately give scores, and their mean would be taken as the interview score, (record B) and it would be signed by all. The sum of records A i.e. scoring based on career profile and B (interview scoring) would yield the final result (C) of the selection. The (C) would also be signed by all the members.

कैरियर प्रोफाईल स्क्रीनिंग हेतु कुलपति द्वारा नामित तीन विषय विशेषज्ञों की समिति गठित की जायेगी। कैरियर अंकों को आधार बनाते हुए आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार के समय चयन समिति के सदस्यों द्वारा 30 अंकों में से प्रदत्त अंको का औसत तथा कैरियर प्रोफाईल दोनों को जोड़ कर ही अन्तिम निर्णय लिये जाने का अनुमोदन परिषद् द्वारा किया गया।

1.10 विश्वविद्यालय द्वारा अकादमिक परामर्शदाताओं एवं अन्य कर्मचारियों को किये जा रहें भुगतान पर परिषद का अनुमोदन।

परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में नियुक्त अकादमिक परामर्शदाताओं एवं अन्य कर्मचारियो की नियुक्ति तथा मानदेय के भुगतान पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही कुलपति को अकादमिक परामर्शदाताओं एवं अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने हेतु अधिकृत किया गया।

1.11 विश्वविद्यालय हेतु शिक्षणेत्तर पदों के सृजन प्रस्ताव पर कार्य परिषद् का अनुमोदन।

विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षणेत्तर पदों को सृजित करने हेतु शासन को प्रेषित प्रस्ताव का परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया। साथ ही उक्त प्रस्ताव में सुरक्षा गार्ड/माली का अलग से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

परिषद् द्वारा सात (07) क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थान पर दस (10) क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना किये जाने का सुझाव दिया गया जिसमें 10 निदेशक, 10 उप निदेशक, 10 सहायक निदेशक तथा इसी अनुपात मे अन्य तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को सृजित करने हेतु शासन से अनुरोध किया जाये।

1.12 विश्वविद्यालय के विद्या परिषद्, योजना बोर्ड, मान्यता बोर्ड, वित्त समिति एवं परीक्षा समिति में कार्य परिषद् द्वारा नामित किये जाने वाले विभिन्न शैक्षणिक व अन्य सदस्यों के नामांकन पर कार्य परिषद का अनुमोदन।

विश्वविद्यालय द्वारा तैयार सूची पर परिषद् द्वारा सहमति व्यक्त की गई। साथ ही विशेषज्ञों की दर्शायी गई सूची में पूर्ण विवरण की संशोधित सूची कार्यवृत्त के साथ भेजने व कुछ अन्य नामों को भी शामिल किये जाने हेतु सुझाव दिये गये –

1. Dr. I.P. Pande, Head, Chemistry Dept. D.A.V. College, Dehradun
2. Dr. Z.H.Zaide, Ex. Vice Chancellor, Rohilkhand University, Bareilly

कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 एस0 फारूख, कार्य परिषद् सदस्य को मान्यता बोर्ड का सदस्य तथा प्रो0 दुर्गेश पन्त, प्रोफेसर, कुमाउ विश्वविद्यालय परिसर, अल्मोड़ा को वित्त समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया। साथ ही संलग्न संशोधित सूची के क्रम से ही कुलपति को समस्त बोर्डों/परिषद् में विशेषज्ञों को नियुक्त/आमंत्रित करने हेतु अधिकृत कर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

1.13 **विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यालयों के गठन, नियुक्त प्रभारी को देय मानदेय एवं सुविधा पर परिषद् का अनुमोदन।**

परिषद् द्वारा आदेशित किया गया है की सात (07) के स्थान पर दस (10) क्षेत्रीय कार्यालय खोलने हेतु अनुमति प्रदान की गई जिसमें कुमॉऊ क्षेत्र में डीडीहाट व बागेशवर तथा गढ़वाल क्षेत्र में रूडकी केन्द्र बनाया जाये। उक्त आदेश के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र कार्यालयों के गठन तथा प्रभारी नियुक्त एवं मानदेय/सुविधा उपलब्ध कराये जाने पर परिषद् द्वारा अनुमोदन दिया गया।

1.14 **विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्र/प्रोग्राम केन्द्र, पाठ्यक्रम, शुल्क, प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रक्रिया आदि से संबंधित नियम एवं विनियम से परिषद् को अवगत कराना।**

उक्त से परिषद् को अवगत कराया गया तथा परिषद् द्वारा भी अनुमोदित किया गया। एम0ओ0यू0 हेतु समिति के गठन पर परिषद् द्वारा अनुमोदन देते हुए निम्न सदस्यों को भी शामिल किये जाने का सुझाव दिया तथा पूर्व प्रस्तावित तीन सदस्यों की समिति निम्नवत होगी –

1. प्रो0 राजन वेलुकर, पूर्व कुलपति, वाई0सी0एम0ओ0यू0, नासिक
2. श्री सुधीर चड्डा, कार्य परिषद् सदस्य
3. डॉ0 बी0 आर0 पन्त, कुलसचिव, उ0मु0वि0वि0

4–5 दो विषय विशेषज्ञ (कुलपति द्वारा नामित)

6. कानूनी विशेषज्ञ (श्री नीरज शारदा, श्री विन्देश गुप्ता, डॉ0 ताहिर मोहम्मद) (इनमें से कोई एक या कोई अन्य कुलपति द्वारा नामित)

1.15 **विश्वविद्यालय द्वारा वित्त से सम्बन्धित बिन्दुओं से परिषद् को अवगत कराना।**

1.15.01 विश्वविद्यालय में छठा वेतनमान लागू किये जाने हेतु परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

1.15.02 परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

1.15.03 परिषद् द्वारा विचारोपरान्त शिविर कार्यालय/कुलपति आवास को एक बार सुसज्जित किये जाने हेतु रू 5,00,000/– (रूपये पॉच लाख मात्र) तक का व्यय करने हेतु अनुमति प्रदान की गई हैं। कार्यालय/शिविर कार्यलय के अतिथि मद पर होने वाले व्यय में रू25,000/– तथा 5,000/– क्रमशः प्रति माह तक व्यय करने पर परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही भविष्य में वित्त समिति के माध्यम से वास्तविक व्यय का मदवार पूर्ण विवरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

1.15.04 परिषद् द्वारा विचारोपरान्त डी0जी0एस0एण्ड डी0 (DGS&D) की Rate contract तथा अन्य विश्वविद्यालयों के रेट कान्ट्रेक्ट की दरों पर ही सामग्री क्रय करने हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया।

1.15.05 परिषद् द्वारा विचारोपरान्त विशेष स्थिति में विश्वविद्यालय हित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के अकादमिक तथा प्रशासनिक अधिकारियों को रेल के उच्च श्रेणी

अथवा हवाई यात्रा की अनुमति का अधिकार के उपयोग हेतु कुलपति को अधिकृत करने हेतु अनुमोदित किया गया।

1.16 विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति, संविदा एवं अस्थाई आधार पर शिक्षकों एवं प्रख्यात अभ्यर्थियों को कुलपति द्वारा रखे जाने पर परिषद् का अनुमोदन।

विश्वविद्यालय में स्वीकृत शैक्षिक पदों के सापेक्ष में कुलपति महोदय द्वारा प्रतिनियुक्ति या संविदा पर प्रख्यात प्रोफेसर तथा ऐसिस्टेन्ट प्रोफेसर्स को दो वर्ष के लिये नियुक्त करने तथा विश्वविद्यालय के ऐसिस्टेन्ट प्रोफेसर्स के रिक्त पदों के सापेक्ष में कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं पाये जाने पर राज्य सरकार के महाविद्यालयों में ऐसिस्टेन्ट प्रोफेसर्स हेतु लागू संविदा शर्तों के आधार पर नियुक्त करने हेतु परिषद् द्वारा कुलपति को अधिकृत किया गया।

1.17 विश्वविद्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाना।

परिषद् द्वारा विचारोपरान्त पूर्व से कार्यरत केवल 20 कर्मचारियों के मानदेय में ही वृद्धि किये जाने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

उक्त के अतिरिक्त outsourcing के माध्यम से निविदा से प्राप्त नियुक्त Triple A Management के कर्मचारियों की outsourcing पर सेवा लिये जाने पर अनुमति प्रदान की गयी।

1.18 विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भ से अब तक प्राप्त अनुदान का वर्षवार विवरण से परिषद् को अवगत कराना।

विश्वविद्यालय को राज्य सरकार एवं दूरस्थ शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान का वर्षवार विवरण से परिषद् अवगत हुई।

1.19 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य बिन्दु पर विचार।

1.19.01 विश्वविद्यालय के विभिन्न परिषदों एवं समितियों में आमंत्रित बाह्य सदस्यों को देय मानदेय भुगतान पर परिषद् का अनुमोदन।

परिषद् द्वारा विभिन्न बैठकों में आमंत्रित बाहय सदस्यों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित मानदेय दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(विनय कुमार पाठक)
कुलपति / अध्यक्ष
[Vinay Kumar Pathak]
Vice-Chancellor
Uttarakhand Open University
HALDWANI (Nainital)

(बी० आर० पन्त)
कुलसचिव / सदस्य सचिव
[B. R. Pant]
Registrar
Uttarakhand Open University
HALDWANI (Nainital)